

समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश
जनपद सुलतानपुर

उ0प्र0 के अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों के इलाज एवं उनकी पुत्रियों की शादी तथा विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु आवेदन पत्र

निर्देश :-

- 1- आवेदक अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए, जिसकी वार्षिक आय रुपये बारह हजार से अधिक न हो।
- 2- आवेदन पत्र के साथ तहसीलदार द्वारा प्रदत्त मूल आमदनी का प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।
- 3- पुत्री की शादी की दशा में वर एवं पुत्री की उम्र का प्रमाण-पत्र (सी0एम0ओ0 द्वारा अथवा विद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाणित सर्टीफिकेट) अवश्य संलग्न करें।
- 4- शादी अनुदान हेतु आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय तथा नगरीय क्षेत्र में तहसील कार्यालय में शादी होने से पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक है। शादी के पश्चात् किये गये आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 5- बीमारी की दशा में शासन द्वारा संचालित किसी राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा जारी बीमारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।
- 6- विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्री की शादी के मामले में आवेदिका द्वारा जिला प्रोवेशन अधिकारी के यहाँ से विधवा पेंशन प्राप्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
- 7- शादी/बीमारी अनुदान के लिए पात्रता के सम्बन्ध में आवेदनकर्ता द्वारा झूठी अथवा गलत सूचना दिये जाने पर उसके विरुद्ध कठोर/विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- आवेदन पत्र की स्थलीय जाँच ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित लेखपाल अथवा समाज कल्याण पर्यवेक्षक द्वारा की जायेगी।
- 9- जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा जाँच आख्या में यदि किसी अपात्र व्यक्ति को अनुदान स्वीकृत की संस्तुति की जाती है तो ऐसी संस्तुति के आधार पर भुगतान की गई समस्त धनराशि सम्बन्धित जाँचकर्ता अधिकारी से वसूल कर ली जायेगी।
- 10- अनुदान की स्वीकृति जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1- आवेदक का पूरा नाम श्री/ श्रीमतीपुत्र/पुत्री
.....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

2- स्थानीय पता

3- वार्षिक आय (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4- बीमारी की दशा में :-

(क) इलाज किस चिकित्सालय में कराया जा रहा है

(ख) बीमारी का प्रमाण पत्र (संलग्न करें)

(ग) रोगग्रस्त होने तक अतिरिक्त धनराशि जिसकी इलाज हेतु आवश्यकता है.....

5- पुत्री की शादी के अनुदान की दशा में :-

(अ) पुत्री का नाम उम्र (पुत्री एवं वर की उम्र
का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

(ब) पुत्री के पिता का नाम

(स) लड़के (वर का नाम उम्र

(द) लड़के के पिता का नाम

(य) लड़के का पूरा पता ग्राम/मोहल्ला पोस्ट
जिला

(र) शादी के लिए निर्धारित तिथि(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6- परिवार के आश्रित सदस्यों की संख्या

7- आय के स्रोत (यदि कोई हों)

आवेदक के हस्ताक्षर/नि0अं

दिनांक

जाति ...
यहाँ आवेदक की प्रमाणित
फोटो चस्पा की जाय।

आवेदक का नाम

पता ग्राम/मोहल्ला

पोस्ट

जिला

ग्राम पंचायत अधिकारी/समाज पर्यवेक्षक/लेखपाल के वर्ग क्षेत्र की जाँच

(ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में समाज कल्याण पर्यवेक्षक/लेखपाल सक्षम जाँचकर्ता अधिकारी होंगे।)

यह आवेदन पत्र विकास खण्ड/स0क0/तहसील/कार्यालय में दिनांक
को प्राप्त हुआ। इसके समस्त विन्दुओं/सूचनाओं/प्रमाण पत्रों का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है। आवेदक श्री/श्रीमती
पुत्री/पत्नी
अनु० जाति पुत्री की शादी/बीमारी के इलाज अनुदान हेतु पात्र है/पात्र नहीं है। यह रिपोर्ट मेरे द्वारा स्थलीय एवं अभिलेखीय परीक्षण के पश्चात् दी जा
रही है, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ।
अतः श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नीनियमानुसार स्वीकृत/निरस्त करने की संस्तुति की जाती
है।

दिनांक

स्थान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत

/स0क0 पर्यवेक्षक/लेखपाल नगरीय क्षेत्र के हस्ताक्षर
नाम

खण्ड विकास अधिकारी/तहसीलदार की संस्तुति

(ग्रामीण क्षेत्र में ख0वि0अ0 एवं शहरी क्षेत्र में तहसीलदार सक्षम संस्तुतिकर्ता अधिकारी होंगे।)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/समाज कल्याण पर्यवेक्षक/लेखपाल श्रीकी जांच रिपोर्ट के अधार पर श्री/श्रीमती
.....पत्नी/पति/पुत्र.....का अनुदान स्वीकृत निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।

नाम

क्षेत्र

(सील लगायें)

तहसील

खण्ड विकास अधिकारी/तहसीलदार

जिलाधिकारी का आदेश

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बीमारी/पुत्री की शादी/विधवा पेन्शनर की पुत्री की शादी की योजना के अन्तर्गत ख0वि0अ0
/तहसीलदार
सुलतानपुर की संस्तुति के आधार पर एवं जिला स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार श्री/श्रीमती
..... पुत्र/पुत्री/पत्नी को रूपया
..... अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
(सचिव)

जिलाधिकारी /
अध्यक्ष
(स्वीकृतकर्ता अधिकारी)